



UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

पो०आ०—गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

website-[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

दूरभाष: 01334—244143 मो०न०—+91—7060002410

विज्ञापन संख्या:- 02 विज्ञापन /ई—2/ 2016—17

सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2016

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि —22.08.2016

ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि — 12.09.2016(समय रात्रि 11:59:59)

e-challan का प्रिट-आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि— 14.09.2016 (समय सायं 4:59:59)

परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि— 15.09.2016 (बैंक समयावधि में)

परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि—15.09. 2016(समय रात्रि 11:59:59)

## अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1— अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षेत्रिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 /2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 /2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2— आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

3— अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 12.09.2016 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं धारित करना अनिवार्य है।

4— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राप्त किये जायेंगे।

5— फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

6— ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, सेवायोजन पंजीयन एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7— आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें।

8— प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं e-challan /Net Banking/Debit Card के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है तथा एक ही परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से समस्त विज्ञापित पदों में से अपनी अर्हतानुसार एक या अनेक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

10— एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है, तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

11— आवेदन करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा “Online application” प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र “Submit” बटन को “Click” करने पर ही “Online application” प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

12— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि तक का इंतजार न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

13— अभ्यर्थी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-1, परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-2, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-3, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-4 तथा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-5 का अवलोकन करें।

14— प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन 20 नवम्बर 2016 में किया जाना प्रस्तावित है।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2016 के अन्तर्गत रिक्त कुल 184 पदों पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 12.09.2016 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जायेगी परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) होने की दशा में विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 20 नवम्बर 2016 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगरों में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

**रिक्तियों की संख्या** :— रिक्तियों की कुल संख्या 184 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत है:—

क्र.सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	विकलांगता की श्रेणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	नायब तहसीलदार (राजस्व विभाग)	समूह–‘ग’	अनारक्षित	29	01 (ओएल)
			अन्य पिछड़ा वर्ग	06	—
			अनु० जनजाति	02	—
			अनुसूचित जाति	08	—
			योग	45	—
02	पूर्ति निरीक्षक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)	समूह–‘ग’	अनारक्षित	74	02 (पीडी)
			अन्य पिछड़ा वर्ग	17	01 (पीडी)
			अनु० जनजाति	05	—
			अनुसूचित जाति	22	01 (पीडी)
			योग	118	—
03	कर अधिकारी (पंचायती राज विभाग)	समूह–‘ग’	अनारक्षित	04	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—
			अनु० जनजाति	—	—
			अनुसूचित जाति	01	—
			योग	06	—
04	यात्रीकर अधीक्षक (वर्तमान नाम परिवहन कर अधिकारी–2) (परिवहन विभाग)	समूह–‘ग’	अनारक्षित	09	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	03	—
			अनु० जनजाति	01	—
			अनुसूचित जाति	02	—
			योग	15	—
कुल योग –				184	—

**नोट:-1** विकलांगता की उसी उपश्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा पद चिन्हांकित किया जायेगा।

## नोट:- समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता :-

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह-ग के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097 / XXX (2) / 2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।" **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित है"**।

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर सेवाओं में कार्यरत है, को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुक्रम में उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गई है तथा उस अनापत्ति की सूचना उसने संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी है। इस प्रकार दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(ii) शासन के पत्रांक 809 / XXX(2) / 2010-3(1) / 2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

(iii). अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के सम्बन्ध में हाँ/नहीं को चुने।

## विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण

### 1. (क) नायब तहसीलदार (राजस्व विभाग)

- (i) पदों की संख्या –45
- (ii) वेतनमान – रु 9300–34800 ग्रेड पे–रु 4200/-
- (iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-'ग'), अंशदायी पेंशन योजना।
- (iv) (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

(ख) अधिमानी अर्हता :– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या  
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

### (ख) पूर्ति निरीक्षक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

- (i) पदों की संख्या –118
- (ii) वेतनमान :– रु 9300–34800 ग्रेड पे–रु 4200/-
- (iii) पद का स्वरूप :– अराजपत्रित पद (समूह-'ग'), अंशदायी पेंशन योजना।
- (iv) (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता :– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या  
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

### (ग) कर अधिकारी (पंचायती राज विभाग)

(i) पदों की संख्या –06

(ii) वेतनमान :– रु 9300–34800 ग्रेड पे–रु 4200 /–

(iii) पद का स्वरूप :– अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’), अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा ऐसी उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

### (घ) यात्रीकर अधीक्षक (वर्तमान नाम परिवहन कर अधिकारी–2) (परिवहन विभाग)

(i) पदों की संख्या –15

(ii) वेतनमान :– रु 9300–34800 ग्रेड पे–रु 4200 /–

(iii) पद का स्वरूप :– अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’), स्थायी अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

(ख) अधिमानी अर्हता :- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या  
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

**2. आयु सीमा :-** (क) आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1995 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(ख) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**3. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या की तालिका के नीचे “नोट” देखें।

**4. राष्ट्रीयता :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश–केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो:

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी** :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**5. चरित्र** :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी** :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**6. वैवाहिक प्रास्थिति** :— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नीयां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**7 शारीरिक स्वस्थता** :— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड दो से चार के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें :

**8. आरक्षण** :— ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-4” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-4” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण—पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ—पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ—पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन—पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस—जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

**9. आवेदन कैसे करें :—** इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं—

ऑनलाइन आवेदन की तिथि	—	22 अगस्त से 12 सितम्बर, 2016 (समय रात्रि 11:59:59) तक
e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	—	14 सितम्बर 2016 (सां�्य 4:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	15 सितम्बर, 2016 (बैंक समयावधि ) तक।
परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	15 सितम्बर, 2016 (समय रात्रि 11:59:59 बजे तक)

## **10. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :—**

- (I) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जायें।
- (II) ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR COMBINED STATE CIVIL/LOWER SUBORDINATE SERVICES EXAM-2016** के समुख “[Click Here](#)” पर जाएं एवं **Continue** करें।
- (III) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही—सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
- (IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।
- (V) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (**40 KB** से अधिक एवं **10 KB** से कम न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (**20 KB** से अधिक एवं **10 KB** से कम न हो) में अपलोड करने होंगे।
- (VI) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।
- (VII) अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- (VIII) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात् 02 दिन पश्चात् ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of filling the form" पर क्लिक करें।
- (IX) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क एस.बी.आई. e-challan द्वारा **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। Net Banking/Debit Card के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(11) **शुल्क** :— परीक्षा शुल्क निम्नवत् है :—

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	सामान्य/ उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	रु0 150/- मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)/ उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)/ उत्तराखण्ड विकलांग/ पूर्व सैनिक	रु0 60/- मात्र

उत्तराखण्ड महिला जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/ श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति इत्यादि आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।

## 12. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/ मैनुअल्स/ मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं **प्रथम संशोधन 2016** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन—2013), (द्वितीय संशोधन—2014), (तृतीय संशोधन—2015) व (चतुर्थ संशोधन—2016) आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/ उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में निम्नवत् निर्देशों का पालन करना होगा—

1. अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री लायें। अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (*Selection*) से वंचित (*Disqualify*) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

2. अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/ नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

3. मुख्य उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखे जायें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अब्स' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कछग' लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

4. परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व मुख्य उत्तर—पुस्तिका एवं अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ धागे से अवश्य बांधें।

**5.** प्रश्न—पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

**6.** प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

**7.** अभ्यर्थी प्रश्न—पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न—पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न—पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

**8.** अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) “क्रास” करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर—पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चैक किया जायेगा।

**9.** प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर—पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर—पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाडें।

**10.** उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

- (i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
- (iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपर्युक्त न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।
- (iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
- (v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
- (x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या ‘अब्स’ एवं पते के स्थान पर ABC या ‘कंखग’ के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्थाही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्थाही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

**(5)** मुख्य (लिखित परीक्षा)/साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों को मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

**(6)** मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

**(7)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(8) प्रारम्भिक परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(9) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(15) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(16) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(17) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(18) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

- (19) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (20) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- (23) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) :- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (24) परीक्षा भवन में आचरण :- परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- (25) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं<sup>0</sup> तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।
- (26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग/शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (27) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (28) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (29) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में

परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपाराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(30) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण—पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र / अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट-4 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(31) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(32) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(33) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाईन शुल्क प्राप्त किया जायेगा तथा प्रारम्भिक परीक्षा में शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता, आरक्षण संबंधी किये गये दावों की पुष्टि के संबंध में प्रमाण पत्र इत्यादि तथा ऑनलाईन जमा की गयी शुल्क की रसीद डाक/व्यक्तिगत माध्यम से आयोग को प्रेषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी से परीक्षा शुल्क रु0 250/- एवं ओ०बी०सी००/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क रु0 150/- तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति, विकलांग व पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से रु0 100/- मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

(34) मुख्य परीक्षा का आयोजन उपर्युक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर हल्द्वानी एवं हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों से परीक्षा हेतु नगर का विकल्प आवश्यकता होने पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

(35) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**नोट :-** अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(36) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(37) परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(38) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(39) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(40) मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(41) **न्यूनतम अर्हक अंक** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 (प्रथम संशोधन—2013, द्वितीय संशोधन—2014, तृतीय संशोधन—2015) व (चतुर्थ संशोधन—2016) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(एस.एन. पाण्डे)  
सचिव

## परिशिष्ट-1

प्रारम्भिक परीक्षा निम्नवत् नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है—

नगर कोड	नगर	जिला
01	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
02	रानीखेत	
03	बागेश्वर	बागेश्वर
04	चम्पावत	चम्पावत
05	नैनीताल	नैनीताल
06	हल्द्वानी	
07	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
08	रुद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
09	काशीपुर	

नगर कोड	नगर	जिला
10	देहरादून	देहरादून
11	ऋषिकेश	
12	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
13	श्रीनगर	
14	कोटद्वार	रुद्रप्रयाग
15	रुद्रप्रयाग	
16	नई टिहरी	टिहरी गढ़वाल
17	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
18	रुड़की	हरिद्वार
19	हरिद्वार	

- नोट:-**
1. यदि किसी परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो उन अभ्यर्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाएंगे।
  2. मुख्य परीक्षा हरिद्वार नगर, (जिला हरिद्वार) एवं हल्द्वानी नगर (जिला नैनीताल) के परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी।
  3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र हेतु जो विकल्प दिया गया है, उसकी उपलब्धता न होने पर आयोग द्वारा उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में अभ्यर्थियों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

## परिशिष्ट— 2

परीक्षा योजना:— प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा—

- (1) प्रारंभिक परीक्षा—केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
- (2) मुख्य परीक्षा—

(क) लिखित परीक्षा (विषयपरक प्रकार की)।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)।

1. प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)—

विषय	अधिकतम अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या
सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण	150	02	150

नोट:—प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जायेंगे।

2. मुख्य परीक्षा —(क) लिखित परीक्षा (विषयपरक)

प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या
प्रश्न पत्र—1	सामान्य अध्ययन	200	03	20
प्रश्न पत्र—2	निबन्ध एवं आलेखन	200	03	05

नोट:— निबन्ध एवं आलेखन के प्रश्न—पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) अधिकतम — 50 अंक ।

## **Appendix-2**

**Plan of Examination** – There will be following tiers of the examinations –

**1- Preliminary Examination-** Only one paper of General Study & General Aptitude Test (Objective Type)

**2- Main Examination-**

A- Written Examination (Subjective/Descriptive Type)

B- Personality Test (Interview)

**1- Preliminary Examination- (Objective Type)**

<b>Subject</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Time (Hours)</b>	<b>No. of Questions</b>
General Study & General Aptitude Test	150	02	150

Note : Marks obtained in Preliminary Examination shall not be added with the marks obtained in Main written Examination for determining the merit.

**2- Main Examination – (A) Written Examination (Subjective / Descriptive Type)-**

<b>Paper</b>	<b>Subject</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Time (Hours)</b>	<b>No. of Questions</b>
Paper –I	General Study	200	03	20
Paper- II	Essay & Drafting	200	03	05

Note : It is essential to obtain minimum 35% marks in Essay and Drafting paper.

**(B) Personality Test (Interview)   Maximum Marks – 50**

## अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

### प्रारम्भिक परीक्षा

#### सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय—2 घंटे

अधिकतम अंक—150

### खण्ड—1 : सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक—100

कुल प्रश्न—100

**1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।

**2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।

**3 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।

**4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

**5 सम—सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।

**6 उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई० तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई० तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में

- योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।
- 7 उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।
- 8 उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
- 9 उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश।**
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश:-** उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।
- प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** – गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल— उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ—उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि—सुधार, लैंड टैन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस—व्यवस्था।
- आर्थिक परिवेश:-** सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।
- 10 आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन:-** मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जड़ी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियाएं एवं इनका राज्य जी० डी० पी० में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

## खण्ड-2 : सामान्य बुद्धि परीक्षण

अधिकतम अंक-50

कुल प्रश्न-50

**1 सामान्य बुद्धिमता :** इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

# **Lower Subordinate Services Examination Syllabus**

## **Preliminary Examination**

### **General Studies and General Aptitude Test (Objective Type)**

**Time : 2 Hours**

**Maximum Marks : 150**

#### **Part -1 : General Studies**

**Maximum Marks-100**

**Total Questions-100**

- 1 General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understanding and application of science and Computers including matters of day to day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline.
- 2 History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, social, economic, and cultural aspects and India's Freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.
- 3 Indian polity and Economy:** Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, Constitution, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.
- 4 Geography and Demography of India:** Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India.
- 5 Current Events:** Questions will be based on important Uttarakhand State, National and International current events including games.
- 6 History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in National and International fields, especially in Armed forces; different social reform movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.
- 7 Culture of Uttarakhand:** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festiveals, food habits, art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.

- 8** **Geography and Demography of Uttarakhand :** Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.
- 9** **Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand :**
- Political and Administrative Background-** Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayti raj, Community development and Co-operatives.
- The historical background of the administrative system in Uttarakhand-** Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind(benap land)Nazul, nayabad settlements) Modern period Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, changes in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamidari Abolition Act, revenue police system.
- Economic background –** Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar systems.
- 10** **Economic and natural resources :** Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village), the position of utilization of resources.
- Various schemes being implemented in Uttrakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and its problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

### Part -2 : General Aptitude Test

Maximum Marks-50

Total Questions-50

- 1** **General Intelligence:** The questions on general intelligence will cover, both, verbal and non verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

# अवर अधीनरथ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम मुख्य लिखित परीक्षा (विषयपरक / विस्तारपरक प्रकार)

## प्रश्न पत्र—1 सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक— 200

समय— 03 घण्टे

टिप्पणी— इस प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है।

- अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं** :— इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे— गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकतावादी आन्दोलन, नक्सलवाद, माओवाद, सलवा जुडम, राष्ट्रीय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द और अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति—मुद्दे एवं विवाद; भुमण्डलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक—आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैशिक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे।
- खेल—कूद** :—विश्व, भारत एवं उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण खेलकुद, प्रतियोगिताएं, पुरुस्कार एवं सम्बन्धित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न होंगे।
- भारत का इतिहास** :— भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अन्तर्गत भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी; भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति।
- भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान** :— इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक सम्पदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्प संख्यक समुदाय के लिये बनाये गये विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।
- भारतीय राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था** :— इसके अन्तर्गत भारतीय राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टिताओं की व्यापक समझ से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
- भारत का भूगोल एवं जनांकिकी** :— इसके अन्तर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय पहलुओं की समझ से संबन्धित प्रश्न होंगे।
- सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण** :— सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अन्तर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे, जिसकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। वैशिक पर्यावरणीय समस्यायें एवं

समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, अनुवांशिक अभियंत्रण के मानवहित में अनुप्रयोग, पशु, पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोक थाम।

8. **भारतीय कृषि:**— इसके अन्तर्गत फसलों, श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में योगदान, सेज, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं बॉयो प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्यायें एवं भूमि सुधार पर आधारित प्रश्न होंगे।
9. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :**— इस भाग में उमीदवारों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास तथा कम्प्यूटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा।
10. **उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।
11. **उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।
12. **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
13. **उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश :**  
**राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश:**— उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल— उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ—उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि—सुधार, लैंड टैन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस—व्यवस्था।

आर्थिक परिवेशः— सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

14. आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनः— मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जड़ी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल—विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी० डी० पी० में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

15. सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र :— इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा।

# **Lower Subordinate Services Examination Syllabus**

## **Main Examination (Subjective/Descriptive Type)**

### **Paper-1 General Studies**

**Maximum Marks- 200**

**Time- 3 Hours**

**Note-** This paper carries 20 questions. Each question carries 10 marks. All questions are compulsory. The word limit for each question is 100 words.

- 1- Current events of International, National and State Importance:** It will cover events of national importance like coalition government system, economic liberalization, economic recession, regional extremism and separatist movements – Naxalism; Maoism and Salwa judum; national security, internal security, communal harmony, and international perspectives like- nuclear policy issues and conflicts; impact of globalization on the socio-economic conditions of developing countries and global food crisis.
- 2- Sports and Games:** Questions based on important sports, games and tournaments, awards and personalities of the world, India and Uttarakhand will be asked.
- 3- History of India:** History of India will cover a broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, socio-economic and cultural aspects; Indian freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.
- 4- Elementary Knowledge of Indian Constitution:** Questions will be set on Indian Constitution as may be expected from an educated person who has not made a special study of the Constitution. RTI, Right to education, Intellectual property right and Consumer protection rights. Different Welfare programmes and Acts passed for the weaker and minority sections of society and different National and State Commissions for their upliftment.
- 5- Indian polity and Economy:** The questions will cover Indian polity, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.
- 6- Geography of India and Demography:** It will include questions on broad understanding of geographical, ecological, socio-economic and demographic aspects of India.
- 7- General Science and Environment:** Questions on General science and environment will cover general understanding and application of science, including matters of day to day observation and experience, as may be expected from an educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline, global environmental problems and solutions, nutritional requirements for human growth,

- application of genetic engineering in human welfare; diseases of cattle, birds, plants and their prevention.
- 8- **Indian Agriculture:** Questions will cover the general awareness of candidates in respect of crops, white, yellow and green revolutions, agricultural production and its contribution to rural economy, SEZ, use of Nano and bio-technologies in the field of agriculture, problems of Indian farmers, and land reforms.
- 9- **Science and Technology:** Questions will be based on candidate's awareness of the development in the field of science and technology, information technology, space technology, electronic media, basic knowledge of computers and cyber crimes.
- 10- **History of Uttarakhand :** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movement for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in national and international fields, especially in Armed forces; different social reform movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.
- 11- **Culture of Uttarakhand :** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, food habits, Art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of the Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.
- 12- **Geography and Demography of Uttarakhand :**  
Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.
- 13- **Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand:**  
**Political and Administrative Background-** Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayti raj, Community development and Co-operatives.

**The historical background of the administrative system in Uttarakhand-** Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind(benap land)Nazul, nayabad settlements) Modern period- Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, change in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamidari Abolition Act, revenue police system.

**Economic background** – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar systems.

- 14- Economic and natural resources :** Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village) the position of utilization of resources.

Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

- 15- Statistical analysis, graphs and diagrams:** Questions will be based on candidate's ability to draw conclusions from information presented in statistical, graphical and diagrammatical form and to interpret them.

## प्रश्न पत्र— 2 निबन्ध एवं आलेखन (विषयपरक)

समय— 03 घण्टे

अधिकतम अंक— 200

1. निबन्ध — 50 अंक

निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों में निबन्ध लिखिए।

- अ— साहित्य और संस्कृति (Literature & Culture)
- ब— सामाजिक क्षेत्र (Social Sphere) एवं राजनीतिक क्षेत्र (Political Sphere)
- स— उत्तराखण्ड का सामाजिक क्षेत्र (Social Sphere) एवं राजनीतिक क्षेत्र (Political Sphere)
- द— विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी (Science, Environment & Technology)
- य— राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (National & International Events)
- र— प्राकृतिक आपदायें यथा भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि। (Natural Calamities like Land slide, Earthquake, Deluge, Drought etc.)

2. हिन्दी सारांश लेखन (लगभग 300 शब्दों में)

- |                                     |        |          |
|-------------------------------------|--------|----------|
| (क) उचित शीर्षक—                    | 05 अंक | } 50 अंक |
| (ख) मूल गद्यांश का सारांश—          | 30 अंक |          |
| (ग) तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या— | 15 अंक |          |

3. हिन्दी आलेखन— 50 अंक

शासकीय, अद्वैशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना टिप्पणी।

4. हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद — 25 अंक

5. अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद — 25 अंक

## Personality Test (Interview) – 50 Marks

## परिशिष्ट-4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....  
 ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार  
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका  
 परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
 ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

मुहर :

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/  
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..  
 ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित<sup>1</sup>  
 जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है,  
 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना  
 संख्या-22 / 16 / 92-का-2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं  
 है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में  
 सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटीमजिस्ट्रेट  
/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र  
 शासनादेश संख्या 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
 (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
 प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
 सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश  
 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और  
 श्री/ श्रीमती/ कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/ पुत्री/ पौत्र/  
 अविवाहित पौत्री उपर्युक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम.....  
 पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्ययक्ष द्वारा  
विधिवत प्रमाणित  
उम्मीदवार का हाल  
का फोटो जो  
उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ कुमार ..... आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह..  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमज़ोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमज़ोर पकड़  
(ग) गति विप्रम (अटैकिस्स)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमज़ोर पकड़  
(ग) गति विप्रम (अटैकिस्स)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमज़ोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमज़ोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता  
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी–बधिर  
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। हॉ/नहीं  
(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं  
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

- (x) एच—सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
(xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं  
हॉ/नहीं

(आ0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

Logo of Office  
(If available)

### Experience Certificate

Name of Deptt./Office: .....  
 Address of Deptt./Office: .....  
 Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: .....  
 Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust.....  
 Telephone No.....  
 Website:.....

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .....  
 Son /Daughter /Wife of shri..... is an employee of this  
 Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the  
 period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our  
 Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign .....  
 (Signature & Name of Authorized  
 Signatory in Capital Letters)  
 Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

\* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.